IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिरसा मुंडा का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

डा. अमिता सिंह
सहा. प्राध्यापक इतिहास
शा महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविधालय जबलपुर

शोध सारांश

यह शोधपत्र महान आदिवासी नेता और लोकनायक नायक बिरसा मुंडा द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिये गये योगदान पर लिखा गया है। बिरसा मुंडा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आदिवासी नेता और लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों और जमींदारी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। नई भू-राजस्व नीतियों और प्रतिबंधात्मक वन अधिनियमों को सीधी चुनौती दी। बिरसा ने मुंडा समुदाय को संगठित किया और “उलगुलान” नामक आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना तथा जल, जंगल और ज़मीन पर उनका पारंपरिक स्वामित्व पुनः स्थापित करना था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और ईसाई मिशनरियों द्वारा किए जा रहे सांस्कृतिक और धार्मिक हस्तक्षेप का विरोध किया तथा अपने अनुयायियों को आत्मसम्मान, एकता और स्वराज की भावना से ओतप्रोत किया। बिरसाइत धर्म की स्थापना की, जो पारंपरिक जीववादी मान्यताओं और सामाजिक सुधारों का मिश्रण था। बिरसा मुंडा ने समाज सुधारक के रूप में भी कार्य किया—उन्होंने शराबबंदी, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनजागरण किया। उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में नई चेतना का संचार किया। वे “धरती आबा” (पृथ्वी पिता) के रूप में पूजनीय बने और आज भी आदिवासी अस्मिता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। **उनकी साहस और न्याय के लिए अथक संघर्षपूर्ण सफल प्रयासो पर यह शोध पत्र लिखा गया है ।**

की वर्ड: 'महाविप्लव, बिरसाइत धर्म, भूमि का संरक्षण

बिरसा मुंडा को एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, विशेष रूप से ब्रिटिश भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और दमनकारी भूमि नीतियों के विरुद्ध एक बड़े आदिवासी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। मुंडा विद्रोह को 'उलगुलान' या 'महाविप्लव ' के नाम से भी जाना जाता है। उनका नेतृत्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

बिरसा मुंडा को आदिवासी समुदाय के गौरव के रूप में याद किया जाता है। 'धरती आबा' या 'पृथ्वी के पिता' के रूप में प्रसिद्ध, बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है । उनकी वीरता, साहस, नेतृत्व और संघर्ष की कहानी, आदिवासियों के लिए, समस्त भारतियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम दाउद मुंडा था।

आदिवासी समुदायों का अनेक तरह से शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में नई भू-राजस्व व्यवस्था लागू की । इससे आदिवासी समुदायों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। पारंपरिक आदिवासियों में खुंटकट्टी व्यवस्था प्रचलित थी। जहाँ ज़मीन पर सामूहिक स्वामित्व होता था। इस बदलाव ने साहूकारों, ज़मींदारों और व्यापारियों जैसे बाहरी लोगों को आदिवासी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का मौका दे दिया। स्थानीय आदिवासी ज़मीन मालिक भूमिहीन मज़दूर बन गए। वे नए अधिपतियों के अधीन काम करने को मजबूर हो गए। इन ज़मींदारों ने बंधुआ मज़दूरी लागू की। नई भू-राजस्व व्यवस्था ने आदिवासियों को उचित मज़दूरी के बिना कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही आदि वासियों को ज़मीन जोतने के लिए अत्यधिक लगान और भारी ब्याज दरों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका शोषण और गहरा गया। आदिवासियों को नकदी में भुगतान करना अनिवार्य हो गया। उत्पाद शुल्क जैसे कई अन्य कर लगाए गए। मिशनरियों ने आदिवासियों की पारंपरिक संस्कृति, धर्म और रीति-रिवाजों की आलोचना की।

इन परिस्थितियों में बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी एवं साहसी नेता के रूप में उभरे । उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदायों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। यह विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन के शोषणकारी विभिन्न उपायों को सीधी चुनौती दी, जैसे नई भू-राजस्व नीतियों और प्रतिबंधात्मक वन अधिनियमों, जो आदिवासी समुदायों को अपनी पैतृक भूमि तक पहुँच से दूर कर रहे थे । उन्होने भारत के आदिवासी समुदायों को एकजुट किया। स्वशासन को बढ़ावा दिया और औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता पर प्रहार किया। स्वायत्तता की लड़ाई में आदिवासी एकता पर बल दिया। उनकी कहानी साहस और न्याय के लिए लगातार कठिन संघर्ष की कहानी है, जिसने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया। उनका योगदान पर भारतजन कृतज्ञ है।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय का, उलगुलान (महान विद्रोह) का नेतृत्व किया। आंदोलन के माध्यम से बाहरी शोषकों (दिक्कुओं) के खिलाफ जनजातीय लोगों को संगठित किया। उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की, जिसमें एकेश्वरवाद और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया, जिससे आदिवासी एकता और पहचान मजबूत हुई।

बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर पठार के मुंडा जनजाति में हुआ था, यह क्षेत्र जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। उनका प्रारंभिक जीवन गरीबी में बीता, लेकिन वे अपने समुदाय के तौर-तरीकों को सीखते हुए बड़े हुए जैसे - शिकार करना, खेती करना और प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाना। उनका परिवार अक्सर काम की तलाश में स्थान बदलता रहता था, जिससे युवा बिरसा को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत कठिनाइयों और स्थानीय जमींदारों के शोषण का सामना करना पड़ा। बिरसा की शिक्षा अपरंपरागत रूप में हुई । बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती किया था जहां उन्हें ईसाइयत का पाठ पढ़ाया गया. हालाँकि उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के प्रयासों के कारण उन्होंने जल्द ही उसे छोड़ दिया। हालाँकि, वहाँ बिताए गए संक्षिप्त समय ने उन्हें नए विचारों और ज्ञान से परिचित कराया, जिसने एक नेता के रूप में उनकी भूमिका को आकार दिया। बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी रूप तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने लोगों के संघर्षों को देखा। आदिवासियों की ज़मीनों पर अंग्रेज़ कब्ज़ा कर रहे थे, उन पर अनुचित कर लगा रहे थे, और स्थानीय ज़मींदार आदिवासी मज़दूरों का शोषण कर रहे थे। इस शोषण और विस्थापन ने उन्हें बहुत परेशान किया और उन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने समुदाय के बीच समर्थन जुटाना शुरू किया और अपनी ज़मीनों को वापस पाने और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। 1890 के दशक में बिरसा ने उलगुलान या महान विद्रोह के नाम से एक आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भगाना और जनजातीय लोगों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करना था।

बिरसा मुंडा का प्रारंभिक जीवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की कठोर वास्तविकताओं, जैसे कि आदिवासी भूमि शोषण और बेदखली, से प्रभावित था। बिरसा ने अपनी शिक्षा के दोरान यह महसूस किया कि अंग्रेज़ शिक्षा का इस्तेमाल धर्मांतरण के एक हथियार के रूप में कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत मिशन स्कूल

छोड़ दिया और अपना स्वयं का धर्म , 'बिरसाइत' स्थापित किया। बिरसा के नेतृत्व में, आंदोलन ने धार्मिक और राजनीतिक आयाम ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने अनुयायियों को अंध विश्वास छोड़ने और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और एकता में विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। जो आदिवासी किसी महामारी को दैवीय प्रकोप मानते थे उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते थे। मुंडा आदिवासी हैजा, चेचक, सर्प दंश, बाघ के आक्रमण को ईश्वर की मर्ज़ी मानते थे। बिरसा ने उन्हें सिखाया कि चेचक-हैजा से कैसे बचाव किया जाता है। बिरसा अब धरती आबा यानी धरती पिता हो गए थे.

उन्होंने मुंडा धर्म का एक ऐसे रूप का प्रचार किया जो विदेशी प्रभावों को अस्वीकार करता था और पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं का संरक्षण करता था। जिसमें पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक सुधारों का मिश्रण था। उन्होंने अपने अनुयायियों से अंधविश्वासों को त्यागने और आदिवासी परंपराओं को अपनाने का आग्रह किया'। यह आदिवासी संप्रदाय एक ईश्वर में विश्वास करता था। आदिवासी समाज में सुधार के लिए आचार संहिता का पालन करने पर जोर देता था। बिरसा मुंडा ने शराब, तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के खिलाफ अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छ रहने के बारे जागरूक किया। जिसके कारण उन्हें धरती आबा (पृथ्वी का पिता) की उपाधि मिली। इस धार्मिक आंदोलन ने स्वदेशी परंपराओं और विश्वासों की ओर लौटने की वकालत की और मुंडा समुदाय में इसका अच्छा-खासा समर्थन प्राप्त हुआ। उनके अनुयायी, जिन्हें 'बिरसाइत' के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों को अपना विरोधी मानते थे और औपनिवेशिक तथा सामंती उत्पीड़न के प्रतिरोध पर बिरसा की शिक्षाओं को अपनाते थे। उन्होंने अपना कुछ समय प्रमुख वैष्णव उपदेशक आनंद पांड के साथ बिताया।

1899-1900 के मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व को भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की लड़ाई में एक निर्णायक क्षण के रूप में याद किया जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का प्रत्यक्ष उत्तर था, जिसमें नई भूमि बंदोबस्त व्यवस्थाओं और वन कानूनों का कार्यान्वयन शामिल था, जिससे आदिवासियों की अपनी पारंपरिक भूमि तक पहुँच सीमित हो गई थी। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह (1899-1900) का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह था, जिसमें भूमि बंदोबस्त और वन कानूनों जैसी शोषणकारी नीतियों को चुनौती दी थी। बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन तेजी से बढ़ा और औपनिवेशिक शोषण से निराश आदिवासी समुदायों से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। 1899 में, यह आंदोलन अपने चरम पर पहुँच गया जब बिरसा और उनके अनुयायियों ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक का इस्तेमाल ब्रिटिश सत्ता से जुड़ी संस्थानों, जैसे- पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारत तथा दिकू और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रशासित अन्य संरचनाओं पर हमला करने के लिए किया गया। प्रतीकों का उपयोग: आंदोलन के दौरान आदिवासी समुदायों को प्रोत्साहित करने तथा एकजुट करने के लिए पारंपरिक प्रतीकों और देशज भाषा का उपयोग किया गया। विद्रोहियों ने अपने स्वतंत्र शासन के प्रतीक के रूप में एक सफेद झंडे को अपनाया। अपने नेतृत्व का लाभ उठाते हुए, बिरसा ने छोटा नागपुर, बंगाल और ओडिशा के जंगलों से उरांव और खारिया सहित विभिन्न आदिवासी समूहों को अंग्रेजों और उनके स्थानीय सहयोगियों (ठेकेदारों) के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया और आदिवासी समुदायों को प्रतिरोध के लिए एकजुट किया। बिरसा का नारा, "अबुआ राज सेटर जाना, महारानी राज टुंडू जाना" ("रानी का शासन समाप्त करो, अपना शासन स्थापित करो"), जनजातीय स्वशासन के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाता था। 1895: बिरसा मुंडा को दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार करके 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।1897: जेल से रिहा होने के बाद भी बिरसा ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। वह गांव-गांव जाकर खुद के नेतृत्व में एक मुंडा राज्य की स्थापना करने के लिए समर्थन जुटाने लगे।

बढ़ते विद्रोह से घबराकर ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोह को दबाने के लिए एक आक्रामक अभियान चलाया। 1900 में, बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों को को ब्रिटिश सेना ने चक्रधरपुर के जंगलों में पड़ाव डालते समय गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची में कैद कर लिया गया, जहाँ 9 जून, 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में कैद में रहते हुए, कुछ महीनों बाद हैजा से उनकी दुखद मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया, हालाँकि उनकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में अभी भी संदेह बना हुआ है। उनकी मृत्यु ने विद्रोह का अंत कर दिया, लेकिन एक आदिवासी नेता और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत आज भी कायम है। उनकी मृत्यु ने आंदोलन को गहरा आघात पहुँचाया और अंग्रेजों ने

अथक सैन्य जवाबी हमलों के ज़रिए विद्रोह को कुचल दिया। कई विद्रोहियों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया या उन्हें फाँसी दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 1900 के मध्य तक आंदोलन का पूर्ण दमन हो गया। अपनी हार के बावजूद, इस विद्रोह ने आदिवासियों की अन्याय को चुनौती देने और उत्पीड़न का प्रतिरोध करने की क्षमता को रेखांकित किया और अवज्ञा की एक स्थायी विरासत छोड़ी।

उनके विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को छोटा नागपुर काश्तकारी-सीएनटी अधिनियम (1908) पारित करने के लिए मजबूर किया, जिससे आदिवासियों की भूमि का संरक्षण हो सके। छोटा नागपुर काश्तकारी-सीएनटी अधिनियम, 1908, एक भूमि अधिकार कानून है जो झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। सीएनटी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर-आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर के विभिन्न जनजातीय समूहों को एक साथ लाकर ब्रिटिश शोषण का सामूहिक रूप से विरोध करने के लिए एकजुट किया। उनके आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू करना पड़ा। इस अधिनियम ने जनजातीय भूमि को गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। भूमि, जल और जंगलों पर पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों को मान्यता दी। बिरसा मुंडा: युवा आदिवासी नेता जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया । उनकी कहानी लचीलेपन, साहस और न्याय के लिए अथक संघर्ष की कहानी है, जिसने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया है।

आदिवासी विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम द्वारा भूमि अभिलेखों की स्थापना और रखरखाव को अनिवार्य बना दिया और साथ ही मूल मुंडा बसने वालों को मान्यता देते हुए "मुंडारी खुंटकट्टीदार" नामक एक विशिष्ट भूमि-जोत श्रेणी की शुरुआत की। इसने आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासी व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा, सीएनटी अधिनियम ने जल, जंगल और ज़मीन (जल, जंगल और ज़मीन) तक पहुँच सहित पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया। इन अधिकारों में वन संसाधनों का उपयोग, मवेशियों का चरना और चावल की खेती के लिए बंजर भूमि का पुनर्ग्रहण (कोरकर) शामिल था, जिससे आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा हुई।

जनजातीय अधिकारों के पक्षधर: बिरसा मुंडा, मुंडा समुदाय के एक करिश्माई आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और पूजनीय लोक नायक थे। सामाजिक-आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में निहित उनका क्रांतिकारी उत्साह, आदिवासी स्वायत्तता और सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए तत्पर था। स्वयं को ईश्वरीय दूत घोषित करते हुए, उन्होंने उत्साह को राजनीतिक सक्रियता के साथ मिश्रित किया और हजारों लोगों को अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया। वे स्वदेशी लचीलेपन और अवज्ञा के प्रतीक हैं, जो भारत के स्वतंत्रता और सामाजिक समता के संघर्ष का लिए प्रतिबद्ध थे ।

: बिरसाइत धर्म के माध्यम से, बिरसा ने जीववादी परंपराओं को सामाजिक सुधारों के साथ मिश्रित किया, जिससे आदिवासी पहचान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। उनकी उपाधि, धरती आबा, आदिवासी संस्कृति और मूल्यों के रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति को दर्शाती है। यह महान विद्रोह भूमि अधिग्रहण और बलपूर्वक धर्मांतरण प्रथाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ। यह मात्र विद्रोह नहीं था. यह आदिवासी अस्मिता, स्वायतत्ता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था.

इतिहास में अंकित बिरसा मुंडा की विरासत, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र समाज की स्थापना के लिए अवज्ञा और दृढ़ता प्रस्तुत करती है। इसी भावना को प्रतिबिंबित करते हुए, रांची में एक संग्रहालय स्थापित किया गया , जो पुरानी सेंट्रल जेल में स्थित है, जहाँ बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। संग्रहालय में बिरसा मुंडा की प्रतिमा उलगुलान (विद्रोह) और चिरस्थायी स्मृति का प्रतीक है। यह संग्रहालय अन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनमें बुधु भगत, सिद्धू-कान्हू, गया मुंडा, जत्रा भगत, पोटो, नीलांबर-पीतांबर, भागीरथ मांझी, दीवा-किसुन, तेलंगा खड़िया और गंगा नारायण सिंह शामिल हैं, जिन्होंने आदिवासी संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर देश के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में भारत के आदिवासी समुदायों के योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। 2021 में इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में घोषित किया था

महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी के उपन्यास 'जंगल के दावेदार' का एक अंश :
'सवेरे आठ बजे बिरसा मुंडा खून की उलटी कर, अचेत हो गया. बिरसा मुंडा- सुगना मुंडा का बेटा; उम्र पच्चीस वर्ष-विचाराधीन बंदी. तीसरी फ़रवरी को बिरसा पकड़ा गया था, किन्तु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा और अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानता था उसे सज़ा नहीं होगी,' डॉक्टर को बुलाया गया उसने मुंडा की नाड़ी देखी. वो बंद हो चुकी थी. बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का 'भगवान' मर चुका था."

आदिवासी और स्त्री मुद्दों पर अपने काम के लिए चर्चित साहित्यकार रमणिका गुप्ता अपनी किताब 'आदिवासी अस्मिता का संकट' में लिखती हैं,

"आदिवासी इलाकों के जंगलों और ज़मीनों पर, राजा-नवाब या अंग्रेजों का नहीं जनता का कब्ज़ा था. राजा-नवाब थे तो ज़रूर, वे उन्हें लूटते भी थे, पर वे उनकी संस्कृति और व्यवस्था में दखल नहीं देते थे. अंग्रेज़ भी शुरू में वहां जा नहीं पाए थे. रेलों के विस्तार के लिए, जब उन्होंने पुराने मानभूमि और दामन-ए -कोह (वर्तमान में संथाल परगना) के इलाकों के जंगले काटने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापित होने लगे, आदिवासी चौंके और मंत्रणा शुरू हुई.' वे आगे लिखती हैं, 'अंग्रेजों ने ज़मींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव, जहां व सामूहिक खेती किया करते थे, ज़मींदारों, दलालों में बांटकर, राजस्व की नयी व्यवस्था लागू कर दी. इसके विरुद्ध बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हुए और उस व्यवस्था के ख़िलाफ़ विद्रोह शुरू कर दिए.'

धीरे-धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की ग़रीबी की ओर गया. आज की तरह ही आदिवासियों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था. न खाने को भात था न पहनने को कपड़े. एक तरफ ग़रीबी थी और दूसरी तरफ 'इंडियन फारेस्ट एक्ट' 1882 ने उनके जंगल छीन लिए थे. जो जंगल के दावेदार थे, वही जंगलों से बेदख़ल कर दिए गए. यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिए.

संख्या और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया. रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी. अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए पांच सौ रुपये का इनाम रखा था जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी. बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास दूम्बरी पहाड़ी पर हुई. हज़ारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े. पर तीर-कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते? लोग बेरहमी से मार दिए गए. 25 जनवरी, 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे. अंग्रेज़ जीते तो सही पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए. लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आईं वहां पांच सौ रुपये ने काम कर दिया. बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया!

महाश्वेता देवी अपने महान कालजयी उपन्यास 'जंगल के दावेदार' में लिखती हैं,

"अगर उसे उसकी धरती पर दो वक़्त दो थाली घाटो, बरस में चार मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल-भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों छुटकारा, रौशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटो खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश-चिड़ियों आदि का मांस-ये सब मिल जाते तो बीरसा मुंडा शायद भगवान न बनता."

बिरसा मुंडा भारतीय इतिहास में एक वीर पुरुष के रूप में विख्यात हैं—एक युवा आदिवासी नेता जिनकी वीरता, आध्यात्मिकता और स्वतंत्रता की दूरदर्शिता आज भी प्रेरणा देती है। एक नेता, सुधारक और मूल निवासियों के अधिकारों के रक्षक के रूप में उनकी विरासत आज भी कायम है, और भारत को अपने आदिवासी समुदायों के लचीलेपन और वीरता की याद दिलाती है।

जैसा कि भारत प्रत्येक वर्ष उन्हें याद करता है, बिरसा मुंडा की कहानी न्याय और स्वतंत्रता के लिए उनके सतत संघर्ष का एक सशक्त प्रमाण बनी हुई है। उनकी जयंती, 15 नवंबर, को को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को सम्मानित करने के लिए ' जनजातीय गौरव दिवस ' और झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है , जो 2000 में राज्य के गठन की याद दिलाता है। बिरसा मुंडा की विरासत आदिवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समकालीन भारतीय आंदोलनों को प्रेरित करती रही है। बिरसा मुंडा का जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें साहस, संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संदेश देता है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस हमें उनकी शिक्षाओं, राष्ट्रप्रेम और उनके संघर्ष

को याद करने और जनजातीय समाज के अधिकारों और सम्मान के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है। एक सम्मानित आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी, बिरसा मुंडा, भारत के आदिवासी समुदायों के लिए प्रतिरोध और गौरव के एक चिरस्थायी प्रतीक बने हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. Tirkey, Lazarus (2005). *Birsa Munda Aur Unka Andolan.* Ranchi: Jharkhand Study Centre.
2. Singh, K.S. (1982). *Tribal Movements in India.* New Delhi: Manohar Publications.
3. Mishra, Satyendra Narayan (2010). *Adivasi and the Raj.* New Delhi: NBT.
4. Singh, Suresh (1983). *Jharkhand ka Itihas.* Ranchi: Tribal Research Centre.
5. Meena, Hariram (2019). *In Memory of Birsa Munda.* Poshampa.org.
6. Mandal, Karunamay (2023). *Dharti Aaba Birsa Munda.* TheNewsFrame.com.
7. Bauddh, Suraj Kumar (2020). *Abua Dishum, Abua Raj.* SabrangIndia.in.
8. Parashar, Vijay Kumar (2021). *Lord Birsa Munda.* StoryMirror.com.
9. रमणिका गुप्ता अपनी किताब ‘आदिवासी अस्मिता का संकट’
10. महाश्वेता देवी उपन्यास ‘जंगल के दावेदार’